

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविर/मा/माध्य/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा, २०१९/२५

दिनांक : २४/०९/२०१९

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)—माध्यमिक।

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषय: बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु माहवार पाठ्यक्रम विभाजन, गृहकार्य जाँच एवं मासिक परख (Monthly Test) आयोजित करने बाबत।

स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीन सत्र : 2019–20 में कई नवाचार किये जा रहे हैं, जिसमें समस्त सम्बन्धित पक्षों की भागीदारी से सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है। बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कक्षा 08 से 12 किसी विद्यार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण पढ़ाव है। इन कक्षाओं में हासिल की गई सफलता उच्च शिक्षा की नींव होती है। इस दृष्टिकोण से ये प्रयास किये जा रहे हैं कि यथासंभव इन कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूर्व निर्देशानुसार अर्द्धवार्षिक परीक्षा आयोजन से पूर्व सम्पूर्ण हो जाये ताकि परीक्षा तक के शेष रहे महीनों में पुनरावृत्ति हो सके तथा अभ्यास टैस्ट/प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हो सके।

निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के साथ-साथ एक नई गतिविधि के रूप में नियमित रूप से मासिक/यूनिट टैस्ट आयोजित करवाए जाने हैं। इस तरह के टैस्ट का आयोजन एक नई गतिविधि के रूप में हो इसलिए इस तरह के शुरू के दो माह (अगस्त एवं सितम्बर) के टैस्ट कॉलेज शिक्षा द्वारा आयोजित की गई गतिविधि की तरह बिना वीक्षक के आयोजित करवाये जावें। इन टैस्ट के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन के प्रति स्वानुशासन, सच्चाई व ईमानदारी का पाठ पढ़ाना है। कॉलेज शिक्षा ने यह आयोजन 29 जुलाई, 2019 को आयोजित किया है, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत माहवार पाठ्यक्रम विभाजन संलग्न कर लेख है कि कक्षा 08, 10 एवं 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों/व्याख्याताओं को निर्धारित पाठ्यक्रम यथासंभव माह नवम्बर, 2019 तक पूर्ण कराने के निर्देश अधीनस्थ संस्था प्रधानों को प्रदान करें। उक्त क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें :—

- प्रतिमाह विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करावें।
- समस्त विषयों में समुचित मात्रा में नियमित रूप से गृहकार्य दिया जावे, जिसकी जाँच कार्य व अनुवर्तन कार्य सतत रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में मासिक परख (Monthly Test) का आयोजन सुनिश्चित करावें। कक्षा एवं विषयवार टैस्ट आयोजन इस प्रकार से किए जाएं, जिससे कि टैस्ट आयोजन एवं कक्षा शिक्षण कार्य साथ – साथ चलते रहें यानि एक कक्षा में अगर दो विषयों के टैस्ट आयोजित किए जा रहे हों, तत्त्वज्ञ अन्य विषयों का कक्षा शिक्षण निर्धारित कालांश में निर्बाध चलता रहे।
- मासिक टैस्ट हेतु निर्धारित दिवसों में किसी प्रकार का अवकाश होने अथवा अन्य पूर्व निर्धारित विभागीय गतिविधि के आयोजन की स्थिति में आगामी कार्यदिवसों में इसका आयोजन सुनिश्चित करावें।
- टैस्ट आयोजन उपरान्त आगामी तीन दिवस में मासिक टैस्ट की उत्तर पुस्तिकार्यों जाँच कर परिणाम विद्यार्थियों को बतायें तथा बाल राभा आयोजन अथवा अभिभावक-अध्यापक परिषद् की बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ साझा किए जाएं। (माह अगस्त व सितम्बर का परिणाम व्यक्तिशः विद्यार्थियों को अवगत करवायें, सार्वजनिक नहीं)

6. मासिक टैस्ट संबंधी सम्पूर्ण रिकॉर्ड का संधरण सुनिश्चित करावे। विद्यालय अवलोकन/निरीक्षण एवं शाला सम्बलन कर्ता अधिकारीगण द्वारा विद्यालय अवलोकन/निरीक्षण के दौरान उक्त रिकॉर्ड एवं अभिलेख संधारण का अवलोकन आवश्यक रूप से किया जाएगा।
7. गृहकार्य जांच कार्य योजना निर्माण एवं तदनुसार संस्थाप्रधानों को सतत मॉनिटरिंग हेतु क्षेत्राधिकार में समस्त संस्था प्रधानों को आवश्यक रूप से निर्देशित करें।
8. माह अगस्त व सितम्बर में आयोज्य मासिक टैस्ट बिना वीक्षक (Without Invigilator) आयोजित करावें, ताकि विद्यार्थियों में स्वानुशासन, स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता, ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्यों का विकास हो सके तथा शिक्षा की मूल परिभाषा 'विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास' (An all around development of a child) सार्थक सिद्ध हो सकें।
9. मासिक टैस्ट का आयोजन परम्परागत तरीके (Traditional Method) से करवाया जाए। मासिक टैस्ट का परिणाम अभिभावकों (अगस्त व सितम्बर माह को छोड़कर) से अनिवार्यतः साझा करें।
10. मासिक टैस्ट की उत्तरपुस्तिका जांच में न्यून अधिगम स्तर प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों हेतु संबंधित विषय की अतिरिक्त कक्षाओं (Extra Classes) का आयोजन Remedial Classes के रूप में करवाया जाए। उक्त कक्षाओं में विद्यार्थियों के काठिन्य स्तर के अनुरूप अधिगम सम्बन्धी कठिनाईयों के निवारण की सुनिश्चित व्यवस्था की जावे।
11. वर्तमान शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः 20 फरवरी, 2020 एवं 27 फरवरी, 2020 से किया जाना प्रस्तावित है। अतः माह जनवरी में बोर्ड पैटर्न के अनुरूप कक्षा 8, 10 एवं 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों हेतु 03 प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।
12. उक्त 03 प्री बोर्ड परीक्षाओं में से न्यूनतम एक परीक्षा सम्पूर्ण जिले में जिला समान परीक्षा जिशिअ(मुख्यालय)–माध्यमिक कार्यालय के शैक्षिक प्रकोष्ठ द्वारा संयोजक, जिला समान परीक्षा ‘जिला समान परीक्षा योजना’ द्वारा वहन की जाएगी।
13. माह जनवरी, 2020 में आयोजित प्री बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम से समस्त अभिभावकों को विद्यार्थियों की उपस्थिति में अवगत करवाया जाकर उनकी अधिगम सम्बन्धी कठिनाईयों के सम्बन्ध में विषयाध्यापक द्वारा पारस्परिक विमर्श द्वारा निवारण किया जाएगा। उक्त समस्त उपाय-उपागम के उपरान्त भी संतोषप्रद अधिगम स्तर से न्यून शैक्षिक लब्धि प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों हेतु स्टडी (विद्यार्थी को सम्मुख बैठाकर शिक्षण) द्वारा न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करवाने की सुनिश्चितता की जाएगी।
14. समस्त शिक्षाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन संचालित विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान उपर्युक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में संधारित रिकार्ड का अवलोकन कर इस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव व सुधार हेतु बरवक्त निरीक्षण निर्देश व मार्गदर्शन के माध्यम से सम्बन्धित संस्था प्रधानों को आवश्यक रूप से सम्बलन प्रदान करेंगे।

नोट : मासिक टैस्ट हेतु प्रश्न पत्र Soft Copy में परिषद से ई-मेल द्वारा उपलब्ध करवाए जाने के पश्चात् सम्बन्धित जिशिअ (मुख्यालय) – माध्यमिक कार्यालय के शैक्षिक प्रकोष्ठ द्वारा जिले के समस्त विद्यालयों की उपर्युक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट संस्था प्रधानों से प्राप्त कर संधारण की कार्यवाही की जाएगी।

(नर्थमल डिले०)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :

क्रमांक:-शिविर/मा/माध्य/मोनिटरिंग/बोर्ड परीक्षा/2019

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु ऐलिन्ज है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक—I/II, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
9. समस्त निरीक्षण/अवलोकन/सम्बलनकर्ता अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. समस्त संस्था प्रधान, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय/पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी।
11. रक्षित पत्रावली।

↑ उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर